यह निरीक्षण प्रतिवेदन,प्रधानाचार्य,राजकीय पॉलीटैक्नीक,डीडीहाट, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य,राजकीय पॉलीटैक्नीक,डीडीहाट,के माह 07/2010 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षक,श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14/06/2018 से 19/06/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2010 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** छात्र / छात्राओ को दो वर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाना। संस्था जिला मुख्यालय से भनडा मार्ग पर 60 कि॰मी॰ कि दूरी पर है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रु लाख मे)

क्र॰सं॰	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि॰ (+)	बचत
		प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	15.19	4.95	-	13.19	11.23		12.20
2	2016-17	-	5.40	3.15	-	14.11	13.38		2.98
3	2017-18	-	4.16	4.09	-	7.28	7.07		0.28
4	2018-19 (04/2018 तक)	0	7.10	1.80	-	8.89	0		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (PMKVY) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		**प्राप्त धनराशि**			
	प्रा॰ शेष	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2015-16	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0
2017-18	0	219996	219996	0	219996
2018-19(05/2018तक)	219996	0	219996	151784	68212

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "सी" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

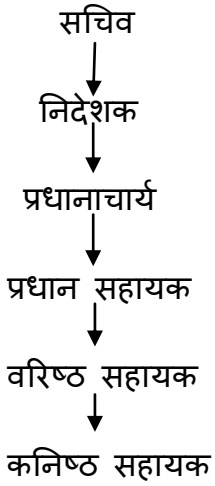

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में राजकीय पॉलीटैक्नीक,डीडीहाट की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय पॉलीटैक्नीक,डीडीहाट की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2011,03/2012,12/2013,06/2015,03/2017 एवं 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- धनराशि रु. 2,01,969 का अनियमित व्यय।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक डीडीहाट के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया है कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 में पाँच कम्प्यूटर/डेस्कटॉप खरीदने हेतु धनराशि रु. 2,01,969/- का व्यय किया गया। इस संदर्भ में क्रय करने से पूर्व कार्यालय द्वारा न कोई समिति गठित की गयी और न ही कोई कोटेशन प्रतिष्ठित एजेंसीज द्वारा प्रस्तावित की गयी। कार्यालय द्वारा उपरोक्त खरीदारी सीधे Associated Business Computers Siwali Friends Tower Kaladhungi Road Haldwani से की गयी जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI के नियमों के विपरीत हैं। इस संदर्भ में विभाग से जब स्वीकृति आदेश उपलब्ध न कराने एवं समिति न गठित करन तथा निविदा आमन्त्रित न करने का कारण पूछा गया तो विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि जांच करने के उपरान्त कार्यालय महालेखाकार को संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि नियमानुसार कोई भी खरीदारी पचास हजार से अधिक हो, उसके लिए निविदा आमन्त्रित करना एवं उससे संबंधित दस्तावेज विभाग के पास होना अनिवार्य है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1:- धनराशि ₹ 283713/- व्यय करने के उपरान्त विगत तीन वर्षो से संस्थान का जनरेटर बंद पड़ा हुआ पाया जाना।

प्राचार्य राजकीय पॉलिटैक्निक डीडीहाट के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया कि संस्थान द्वारा मै॰ इलैक्ट्रो इक्यूपमेंट,प्लाट न॰-21,राजपुर सहकारी औद्योगिक क्षेत्र भगवानपुर,रुड़की से Diesal generating set of 10 KVA capacity single phase with AMF control panel Kirloskar Green/SE KG10 A55 on item no. o4 सभी कर सहित दिनांक 05-03-2012 को धनराशि ₹ 283713/- मे क्रय किया गया था तथा दिनांक 12-09-2012 को प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटैक्निक डीडीहाट द्वारा उक्त एजेंसी को पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि डी॰जी॰ की ऑयल सील लीकेज है,पैनल डोर का सेंटर लोक खराब है तथा पैनल मे मेन सप्लाई आने पर बल्ब नही जल रहा है, जिसे ठीक करने हेतु अनुरोध किया गया था। इसके उपरान्त जनरेटर को ठीक करने हेतु दिनांक 04-07-2013 को पत्र एजेंसी को पुन: प्रेषित किया गया। तदोपरान्त दीप ज्योति इलेक्ट्रिकल्स एंड सर्विसेस हल्द्वानी द्वारा दिनांक 24-07-2012, 31-07-2013 एवं 20-02-2014 को सर्विस प्रदान करने के उपरान्त दिनांक 09-05-2015 से जनरेटर बंद पड़ा है। विभाग द्वारा जनरेटर की मरम्मत हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये थे और न ही उक्त की मरम्मत हेतु कोई AMC की गई थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने पाने उत्तर मे बताया कि जनरेटर को ठीक करने हेतु भविष्य मे पत्राचार किया जाएगा। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा जनरेटर खराब होने कि सूचना न तो निदेशालय को दी और न ही उक्त स्थिति से शासन को अवगत कराया तथा ना ही जनरेटर कि मरम्मत हेतु संस्थान द्वारा कोई ठोस प्रयास किये गये थे।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2:- ब्याज कि धनराशि ₹ 127470/- शासकीय खाते मे जमा न किया जाना।

राजकीय पॉलिटैक्निक डीडीहाट की लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया कि संस्थान मे प्राचार्य राजकीय पालिटैक्निक- डीडीहाट के नाम बचत खाता दिनांक 30-03-2010 संचालित है जिसे अभी तक चालू खाते मे परिवर्तित नहीं कराया गया और न ही पीएलए खाते का संचालन किया गया। संस्थान के बचत खाते में दिनांक 30-06-2010 से वर्तमान तक ब्याज की निम्नलिखित धनराशि अवरुद्ध पड़ी हुई है,जिसका विवरण निम्न है:-

माह	ब्याज की धनराशि
30.06.2010	204
31.12.2010	1178
30.06.2011	2263
31.12.2011	3729
30.06.2012	4423
31.12.2012	5872
30.06.2013	6484
31.12.2013	7612
30.06.2014	8773
25.12.2014	9946
25.06.2015	11057
25.12.2015	12178
25.06.2016	12765
25.09.2016	6752
25.12.2016	6803
25.03.2017	7029
25.06.2017	7347
25.09.2017	6746
25.03.2018	6309
Total	**127470**

इस प्रकार बचत खाते मे ब्याज की कुल राशि ₹ 127470/- अवरुद्ध पड़ी हुई है जिसे नियमानुसार शासकीय खाते मे जमा नहीं किया गया। संप्रेक्षा द्वारा इंगित किएक जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की निदेशालय से ब्याज की धनराशि के अवरुद्ध पड़ी रहने के सम्बन्ध तथा बचत खाते को चालू खाते मे परिवर्तित करने के सम्बन्ध मे पत्राचार किया जायेगा तत्पश्चात निदेशालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अत: ब्याज की धनराशि ₹ 127470/- अवरुद्ध पड़ी रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
-	-	-	-
योग	-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राजकीय पॉलीटैक्नीक,डीडीहाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	श्री पी॰के॰पन्त - प्रधानाचार्य	01-08-2009 से 31-08-2011 तक
2.	श्री विजय सिंह नेगी - प्रधानाचार्य	01-09-2011 से 10-01-2012 तक
3.	श्री एन॰आर॰आर्य - प्रधानाचार्य	11-01-2012 से 31-05-2014 तक
4.	श्री रमेश सिंह - प्रधानाचार्य	01-06-2014 से 16-10-2015 तक
5.	श्री कीर्ति राम - प्रधानाचार्य	17-10-2015 से 08-12-2015 तक
6.	श्री मदन मोहन टम्टा - प्रधानाचार्य	09-12-2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राजकीय पॉलीटैक्नीक, डीडीहाट, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकारसामाजिक क्षेत्र (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र